

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय:- नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करने एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रोजेक्ट मानिट्रिंग यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं को सुचारु रूप से उनको लागू तथा पर्यवेक्षण के लिए प्रोजेक्ट मानिट्रिंग यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 37 के अन्तर्गत "नगरीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु प्रोजेक्ट मानिट्रिंग यूनिट (पी0एम0यू0) की स्थापना-42-अन्य व्यय" मद में कुल प्राविधानित धनराशि ₹0 500.00 लाख में से उक्त प्रोजेक्ट मानिट्रिंग यूनिट (पी0एम0यू0) के कार्यालय अधिष्ठापन एवं इन एजेन्सियों के कार्मिकों पर होने वाले व्यय-भार के वहन हेतु कुल धनराशि ₹0 500.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

1. उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के पदनाम से खुले बैंक खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी।
2. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
6. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
7. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, नगरीय निकाय निदेशालय/क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ का होगा।
8. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
9. प्रश्नगत धनराशि विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति

विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।


10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 500.00 लाख ( रुपये पांच करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217058000300 नगरीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु प्रोजेक्ट मानिटारिंग यूनिट (पी.एम.यू.) की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-671-X -2023-24, दिनांक- 16 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
मो० सचिव, 16.03.24  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 161/2024/531/नो-9-001-E-1677010, तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 7- सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आजा से,  
  
मो० सचिव, 16.3.24  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।